

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276375
SG-DL-E-21092026-276375असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 211
No. 272]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 211

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवन एवं वन्यजीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 14 सितम्बर, 2026

फा. सं. 34571/टीओ(एस)/टीसी-फेलिंग/2026-27/8752— जबकि, डीपीटीए ई-फोरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी (दक्षिण वन प्रभाग) को सुश्री, मोहिनी मदान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), बी-21, कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110016, से एक आवेदन आईडी संख्या 34571 प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) (तत्पश्चात् डीपीटीए, 1994 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068 के प्रस्तावित कैंपस के निर्माण हेतु 3.05543 हेक्टेयर क्षेत्र में 31 वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु अनुमति मांगी गई थी।

और जबकि, वृक्ष अधिकारी (दक्षिण वन प्रभाग) ने आवेदन पर समुचित विचारण के पश्चात्, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) में वृक्ष अधिकारी (दक्षिण वन प्रभाग) द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण/कटाई के आवेदन पर विचार करने हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) की अनुप्रयोज्यता से दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 धारा 29 के अंतर्गत 3.05543 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) के संबंध में छूट मांगी है।

इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जनहित में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068 के प्रस्तावित कैंपस के निर्माण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से 3.05543 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को निम्नलिखित शर्तों के साथ छूट प्रदान करते हैं :

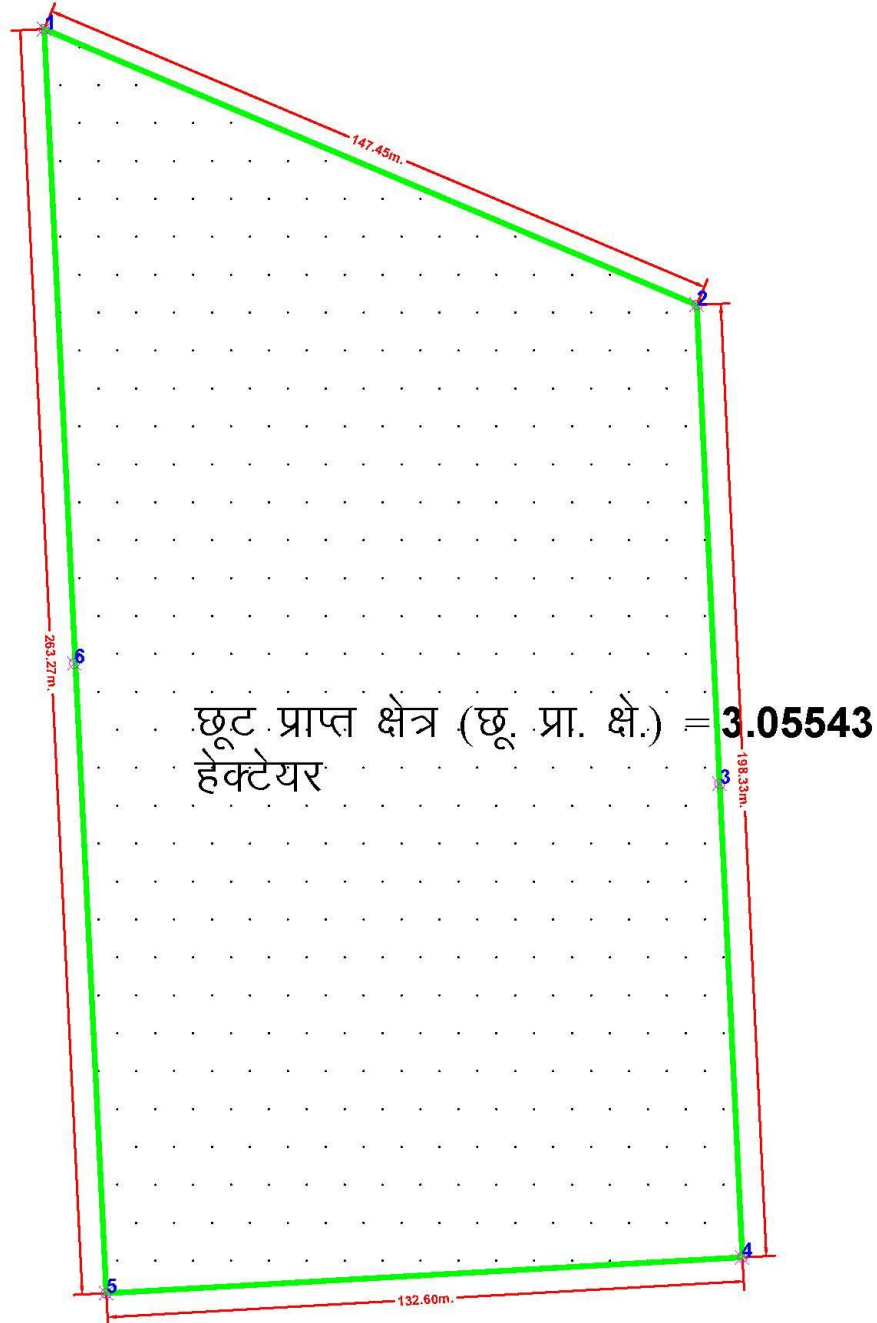
- 1) यह अधिसूचना दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत केवल 3.05543 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068 के प्रस्तावित कैंपस के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से छूट देने हेतु जारी की जा रही है। जैसा कि वृक्ष अधिकारी (दक्षिण वन प्रभाग) द्वारा मांग की गई है।
- 2) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट हेतु यह अधिसूचना, किसी भी स्थिति में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटने की अनुमति के रूप में नहीं मानी जाएगी।
- 3) वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटने हेतु आवेदन पर वृक्ष अधिकारी (दक्षिण वन प्रभाग) द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियमावली, 1996 के प्रावधानों, संबंधित दिशा-निर्देशों, इस संबंध में जारी निर्देशों तथा समस्त संबंधित न्यायालय आदेशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तथा पृथक रूप से विचार किया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपित/काटे जाने वाले प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करने हेतु आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

अनुलग्नक- क

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068 के प्रस्तावित कैंपस के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।



संकेतिका :-	
परियोजना क्षेत्र (छूट प्राप्त)	
निर्देशांक	000
बिंदु	✕
चरित्राप	00.00m.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068 के प्रस्तावित कैंपस के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।

क्र० सं०	उत्तर दिशा की ओर	पूर्व दिशा की ओर	अक्षांश	देशांतर
1	3152117.9	716229.31	28° 28' 39.9965" उ०	77° 12' 31.3314" पू०
2	3152060.3	716365.58	28° 28' 38.0462" उ०	77° 12' 36.3002" पू०
3	3151961.8	716370.29	28° 28' 34.8446" उ०	77° 12' 36.4070" पू०
4	3151863.3	716375.01	28° 28' 31.6431" उ०	77° 12' 36.5137" पू०
5	3151855.8	716242.63	28° 28' 31.4795" उ०	77° 12' 31.6436" पू०
6	3151986.9	716235.97	28° 28' 35.7380" उ०	77° 12' 31.4875" पू०
उपभोगी संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस-84, यूटीएम-43 का उपयोग करके निर्देशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं।				
*छूट प्राप्त क्षेत्र = 3.05543 हेक्टेयर				

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 14th September, 2026

F. No. 34571/TO(S)/TC-felling/2026-27/8752.— WHEREAS, an application ID no. 34571 on DPTA e-Forest portal was received by the Tree Officer (South Forest Division) from Ms. Mohini Madan, Indian state of Foreign Trade (IIFT), B-21, Qutub Industrial area, New Delhi-110016 for seeking permission under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994) (hereinafter referred to as **DPTA, 1994**) for transplantation / felling of 31 number of trees for Construction of proposed Campus of Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), Maidangarhi New Delhi-110068, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 in an area of 3.05543 hectare.

AND WHEREAS, the Tree Officer (South Forest Division) after due application of mind, has sought exemption in respect of 3.05543 hectare area (as per details in Annexure – A) under Section 29 of the DPTA, 1994 from applicability of Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994, in view of limitation of maximum one hectare area for considering application of tree transplantation / felling by the Tree Officer (South Forest Division) in Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the DPTA, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest, exempts an area of 3.05543

hectare (as per details in Annexure – A), from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the said Act for Construction of proposed Campus of Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), Maidangarhi New Delhi-110068, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 with the following conditions:

- 1) This notification is being issued under Section 29 of the DPTA, 1994 only to exempt the 3.05543 hectare area (as per details in Annexure – A) from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the DPTA, 1994 for the Construction of proposed Campus of Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), Maidangarhi, New Delhi-110068, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 as sought by the Tree Officer.
- 2) This notification for exemption under Section 29 of the DPTA, 1994, in any case, shall not be considered as permission for transplantation / felling of trees under the DPTA, 1994.
- 3) The application for transplantation / felling of trees shall be considered and scrutinized independently and separately by the Tree Officer (South Forest Division) under the provisions of the DPTA, 1994, the Delhi Preservation of Trees Rules, 1996, relevant guidelines, directions issued in this regard and all relevant court orders with due application of mind minimizing the number of affected trees to be transplanted / felled from within the exempted area.

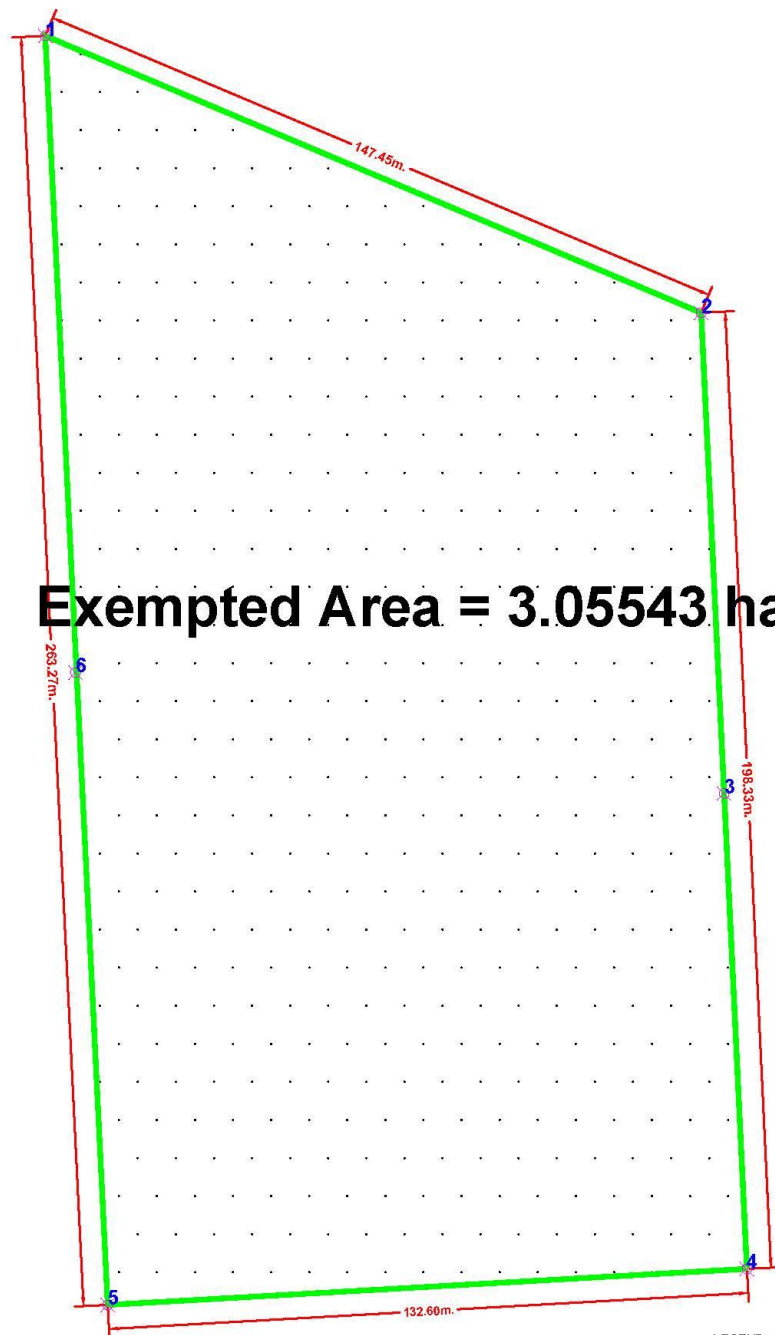
By Order and in the Name of the

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secretary (Environment & Forests)

Annexure- A

Boundary details of the area exempted U/S 29 from limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) of Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Construction of proposed Campus of Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), Maidangarhi New Delhi-110068.



LEGEND:-

Project Area	
Coordinate No.	00
Points	
Dimensions	00.00m

Boundary Details of the Area Exempted U/S 29 from provision of limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Construction of proposed Campus of Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), Maidangarhi New Delhi-110068.

S.NO.	NORTHING	EASTING	LATITUDE	LONGITUDE
1	3152117.9	716229.31	28° 28' 39.9965" N	77° 12' 31.3314" E
2	3152060.3	716365.58	28° 28' 38.0462" N	77° 12' 36.3002" E
3	3151961.8	716370.29	28° 28' 34.8446" N	77° 12' 36.4070" E
4	3151863.3	716375.01	28° 28' 31.6431" N	77° 12' 36.5137" E
5	3151855.8	716242.63	28° 28' 31.4795" N	77° 12' 31.6436" E
6	3151986.9	716235.97	28° 28' 35.7380" N	77° 12' 31.4875" E

Coordinates have been retrieved from DWG/KML file submitted in the application on e-Forest portal by the user agency.

*Exempted area = **3.05543 Ha.**